

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक-7356/Main(P)/Admin(A-3)/Allahabad, दिनांकित-31.05.2019 के अनुक्रम में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, औरैया द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांकित-13.04.2026 एवं सिविल बार एसोसिएशन बिधूना, औरैया द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांकित-18.04.2026 के अनुसार माह **मई व जून 2026** में न्यायालय/कार्यालय का कार्यावधि प्रातः 07:00 बजे से अपरान्ह 01:00 बजे तक कर दिया जाए।

अतएव माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक-7356/Main(P)/Admin(A-3)/Allahabad दिनांकित-31.05.2019 के अनुपालन में जनपद न्यायालय, औरैया माह मई व जून 2026 में प्रातः कालीन न्यायालय का समय **पूर्वान्ह 07:00 से अपराह्न 01:00 बजे** तक निर्धारित किया जाता है।

कार्यालय का समय पूर्वान्ह 06:30 बजे से अपरान्ह 01:30 बजे तक तथा लंच का समय सुबह 10:30 बजे से 11:00 बजे तक का होगा।

उक्त आदेश की सूचना माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को प्रेषित की जाए तथा जनपद न्यायालय, औरैया की वेबसाइट पर अपलोड की जाए एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाए।

समस्त सम्बन्धित को सूचित किया जाए।

(मयंक चौहान)

जनपद न्यायाधीश

औरैया।

18/04/26

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

- 1- समस्त न्यायिक अधिकारीगण मुख्यालय एवं बाह्य न्यायालय बिधूना औरैया।
- 2- प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, औरैया।
- 3- पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण, औरैया।
- 4- अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, औरैया।
- 5- सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, औरैया को इस आशय से प्रेषित की जाये कि इसका प्रकाशन समाचार पात्रों में कराना सुनिश्चित करें।
- 6- अध्यक्ष/सचिव, समस्त बार संघ, जनपद औरैया।
- 7- जिलाधिकारी, औरैया।
- 8- पुलिस अधीक्षक, औरैया।
- 9- अधीक्षक, जिला कारागार, औरैया।
- 10- मुख्य चिकित्साधिकारी, औरैया।
- 11- ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, औरैया।
- 12- समस्त जिला शासकीय अधिवक्ता दीवानी/फौजदारी/सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीवानी/फौजदारी, जनपद औरैया।
- 13- केन्द्रीय नाजिर को इस निर्देश के साथ कि आदेश की एक प्रति न्यायालय के सूचना पट्ट पर चस्पा करवाना सुनिश्चित करें।
- 14- सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर, जनपद न्यायालय, औरैया इस आदेश को न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
- 15- समस्त कार्यालय जनपद न्यायालय, औरैया।

जनपद न्यायाधीश

औरैया।

10/04/26